न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12/2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

रतनलाल आत्मज लालुराम जाट निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत

विपक्षी : पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांकः– 03/02/2020

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के पिता लालुराम आत्मज किशना जाट साबिक आराजी खसरा नं0 301/3 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा आराजी संख्या 309/6 रकबा एक बीघा एक बिस्वा कय की। जिसके पड़ौस पूर्व : ग्राम पोटलां से गुढ़ा जाने वाला रास्ता, पश्चिमः गोपीलाल, मोहनलाल कुम्हार की भूमियां, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः किशनलाल पाटिया की आराजी। इन पड़ौसों के मध्य स्थित कुल आराजियात कुल किता 02 कुल रकबा 07 बीघा 3 बिस्वा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। तब से ही आज दिनांक तक पहले लालुराम व अब प्रार्थी काबिज चला आ रहा है।

यह कि ग्राम पोटला का नवीन बन्दोबस्त हुआ, उसमें उक्त साबिक आराजी संख्या 301/3 एवं 309/6 के नवीन नम्बर – 1352 रकबा 0.38 हे0, 1353 रकबा 0.01 हे0, 1347 रकबा 0.15 हे0, कायम हुए, जिनका कुल रकबा 1.54 हे0 बनता है जो साबिक रकबे 7 बीघा 3 बिस्वा के बराबर बैठता है लेकिन नवीन बन्दोबस्त में जो नक्शा बनाया गया वह नक्शा गलत बना दिया है। नवीन नक्शे में आराजी संख्या 1352 का जो नक्शा बनाया उसका नाप करने पर 1.22 हे0 बनता है जबकि रकबा 1.39 हे0 है। इस प्रकार नवीन नक्शे में 0.17 हे0 भूमि कम कर दी गई है।

यह कि नवीन बन्दोबस्त में प्रार्थी की आराजी संख्या 1352 के पूर्वी ओर बिलानाम आराजी संख्या 1351 रकबा 0.15 हे0 को फीट कर दिया गया जो गलत है क्यों कि प्रार्थी की साबिक आराजी के पूर्वी तरफ पोटला से गुढ़ा जाने का रास्ता है लेकिन नवीन नक्शे में रास्ते

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

व प्रार्थी की आराजी के बीच बिलानाम आराजी संख्या 1351 फीट कर दी गई है। जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है।

यह कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे रकबा कम नही किया गया है लेकिन नवीन नक्शे से नापने पर 0.17 हे0 रकबा कम पड़ता है तथा प्रार्थी की आराजी में पूर्वी तरफ गलत तरीके से आराजी संख्या 1351 दर्शा दी गई है जिसे हटाया जा ना अनिवार्य हो गया है। यह कि दिनांक 01.02.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत पोटला ने मुझ प्रार्थी को कहा कि तुमने नाजायज कब्जा कर रखा है तब मुझ प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की और कम्प्यूटर से नवीन नक्शे को नपवाया, तब मुझ प्रार्थी को जानकारी हुई कि बन्दोबस्त विभाग ने मुझ प्रार्थी की आराजी का नक्शा गलत बना दिया है। जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पोटला की आराजी संख्या 1352, 1353, 1347 के नक्शे को दुरूस्त करवा साबिक आराजी संख्या 301/3 व 309/6 के अनुरूप बनाया जावे, साथ ही बिलानाम आराजी संख्या 1351 को प्रार्थी के नक़्शे से हटाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दिनांक 08.03.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षी पेरोकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस की गई। एवं पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी नं0 1351 रकबा 0.1500 हे0 बिलानाम होकर इस पर प्रार्थी का अतिक्रमण है जिसकी धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है, जिसकी प्रार्थी को पूर्णतया जानकारी है।

यह कि रेकार्ड एवं मौके के अनुसार प्रार्थी के नाम अंकित आराजी नं0 1347 रकबा 0.15 हे0 भूमि प्रार्थी के कब्जे में नहीं होने से इसके बदले बिलानाम आराजी नं0 1351 रकबा 0.15 हे0 को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जो गलत है।

पेरोकार सरकार द्वारा बिन्दुवार 1 से 10 तक जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपने खाते में अंकित आराजी नं0 1347 रकबा 0.15 हे0 भूमि पर कब्जा नहीं होने एवं आराजी नं0 1351 पोटला से गुढ़ा जाने वाले रास्ते के पास होने से अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जो गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :– 12/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। तहसीलदार सहाड़ा के जवाब अनुसार कि आराजी नं0 1351 रकबा 0.1500 हे0 बिलानाम होकर इस पर प्रार्थी का अतिक्रमण है जिसकी धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है, जिसकी प्रार्थी को पूर्णतया जानकारी है। प्रार्थी अपने खाते में अंकित आराजी नं0 1347 रकबा 0.15 हे0 भूमि पर कब्जा नहीं होने एवं आराजी नं0 1351 पोटला से गुढ़ा जाने वाले रास्ते के पास होने से अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जो न्यायहित में उचित प्रतित नहीं होता है। साथ ही प्रार्थना पत्र के अवलोकन से कालूराम पिता किसना जाट को साबिक आराजी नं0 301/3 में रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा एवं 301/6 में रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी जिसे वादी के पिता ने जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी। रजिस्ट्री एवं खाता नकल संलग्न है। परन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में साबिक आराजी 301/3 एवं 309/6 का अंकन किया है। साबिक आराजी नं0 309/6 का कोई रेकार्ड पत्रावली में संलग्न नहीं है। आराजी नं0 309/6 का रकबा भी 1 बीघा 1 बिस्वा दावे में दर्ज किया है। जबकि विक्रय पत्र में आराजी नं0 301/6 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा है। प्रार्थना पत्र में साबिक आराजी नं0 301/3 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा एवं 301/6 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का तरमीम सुदा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादी के पिता द्वारा क्रय की गई भूमि वर्तमान आराजी नं0 1351 में आती हो, अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.02.03 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: